



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2009/भाद्र 23, 1931

No. 528]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2009/BHADRA 23, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 670(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या) नियम, 2009 है ।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं—** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 (क) “अधिनियम” से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;
 (ख) “सचिव” से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;
 (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या— आयोग के सचिव और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्यां और उनकी भर्ती की पद्धति अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगी ।

4. सेवा की शर्तें - (1) छुट्टी, कार्यग्रहण अवधि, पदग्रहण अवधि वेतन, अधिवर्षिता की आयु, यात्रा भत्ता और छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में, आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो तत्स्थानी प्रवर्ग और वेतनमान से संबंधित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं ।

(2) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तब तक साधारण पूल आवास सुविधा के लिए पात्र होंगे, जब तक आयोग के लिए पृथक कार्यालय और आवासीय काम्पलेक्स का निर्माण नहीं हो जाता है ।

(3) आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जिसमें वे भी सम्मिलित हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं और जिन्हे साधारण पूल आवास के अंतर्गत सरकारी निवास स्थान की सुविधा रखने के लिए पात्र होंगे ।

(4) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिन्हें निवास स्थान आबंटित नहीं है वे मकान किराया भत्ता के पात्र होंगे जो कि वही वेतनमान प्राप्त कर रहे हों केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को अनुज्ञेय है ।

(5) आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जिन्हें वे भी सम्मिलित हैं जो आयोग में सेवा के दौरान प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन चिकित्सीय सुविधाओं के हकदार होंगे जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(6)(i) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त, आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम जो उन्हे उनके मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू है, द्वारा शासित होते रहेंगे ।

(ii) आयोग, ऐसे सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों से भविष्य निधि हेतु अभिदाय वसूल करेगा और शीघ्र ही इसे उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को रकम प्रेषित करेगा ।

(iii) आयोग द्वारा विलंब से प्रेषण के मद्दे ब्याज की किसी हानि को वहन किया जाएगा ।

(7) उन व्यक्तियों से भिन्न जो प्रतिनियुक्ति पर हैं आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली स्कीम के अनुसार समूह बीमा स्कीमों द्वारा शासित होंगे :

परंतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों के मामले में वे समूह बीमा स्कीमों द्वारा शासित होते रहेंगे जो उन्हे उसे मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में लागू हैं ।

8(i) आयोग ऐसे सचिव, अधिकारी और कर्मचारियों से बीमा स्कीमों हेतु अभिदाय वसूल करेगा और शीघ्र ही उसे उधारदाता मंत्रालय या विभाग या संगठन को भेजेगा ।

(ii) अयोग द्वारा विलंब से प्रेषण के मद्दे ब्याज की किसी हानि को वहन किया जाएगा ।

(9) आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर नहीं हैं, नयी पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।

(10) अयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, अपने मूल मंत्रालय या विभाग या संगठन में जो उनको उपलब्ध हैं, यदि कोई है, पेंशन और सेवा निवृत्ति फायदे के पात्र होंगे ।

5. शासकीय विदेशी दौरे—आयोग के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के शासकीय विदेशी दौरे आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे ।

(2) समय-समय पर यथा संशोधित विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश लागू होंगे ।

6. प्रतिनियुक्ति भत्ता—प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयनित व्यक्तियों को वेतनमान और उधार लेने वाले संगठन के अन्य सेवा फायदों का विकल्प करने या स्वयं के वेतनमान प्रतिधारित करने और इस विषय पर केन्द्रीय सरकार के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

7. अवशिष्ट उपबंध-आयोग के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों के निबंधन और शर्तों से संबंधित के विषय जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, अयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा ।

8. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह आदेश द्वारा और लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए किसी किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल किया जाएगा ।

अनुसूची 3

(नियम 4(5) देखिए)

चिकित्सीय सुविधाएं

1. बाह्य चिकित्सीय व्यय—सचिव, अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे।

रपष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए “कुटुम्ब” पद का वही अर्थ है, जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचयी), नियम, 1944 में है।

(ii) वर्ष के दौरान बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय या वर्ष की 1 जनवरी को एक मास के वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(iii) दावे को चिकित्सक के नुस्खे और मूल कैश मैमो या चिकित्सक द्वारा उपचार के लिए बिल तथा दवाइयों की खरीद द्वारा समर्थित होना चाहिए तथा वर्ष के दौरान वेतनवृद्धियां या प्रोन्नति की निर्मुक्ति, 1 जनवरी तक की सीमा पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) वर्ष के दौरान पद ग्रहण कर रहे सचिव, अधिकारी और कर्मचारी के लिए वार्षिक हकदारी अनुपात के आधार पर निर्बंधित होगी।

(v) बाह्य उपचार, आयोग द्वारा रखे जाने वाले पैनल से प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों से करागा जाएगा।

2. आंतरिक उपचार—

(i) आंतरिक उपचार के प्रयोजन के लिए आयोग के सचिव, अधिकारी और कर्मचारी, इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए उपचार की लागत जिसमें अस्पताल वास, नर्सिंग होम सुविधा आदि सम्मिलित है, समतुल्य वेतन ले रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचयी) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(ii) उपरोक्त खंड (i) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अस्पताल वहीं होंगे, जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचयी) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।

(iii) प्राधिकृत अस्पताल में उपचार आपातकाल के सिवाए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों की सलाह पर कराया जा सकेगा।

अनुसूची
(नियम 3 देखें)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
या औद्योगिक प्रबंधन में 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं। (ii) केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा वेतन वैद्य 37000-67000 रु 0 + ग्रेड वेतन 87000 में पदचारण किए हुए हैं और समान श्रेणी में प्रशासन या वित्त या औद्योगिक प्रबंधन में 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं।	या औद्योगिक प्रबंधन में 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं। (ii) केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों द्वारा वेतन वैद्य 37000-67000 रु 0 + ग्रेड वेतन 87000 में पदचारण किए हुए हैं और समान श्रेणी में प्रशासन या वित्त या औद्योगिक प्रबंधन में 3 वर्ष का अनुभव रखते हैं।	2. प्रोन्नति: (वेतनमान 67000-3 प्रतिशत की दर से कार्बिक वृद्धि-79000) प्रारंभ के प्रतिशर्षा आयोग में नियमित आधार पर वेतन वैद्य 37400-67000 रु 0 + ग्रेड वेतन 10000 रु में सलाहकार के रूप में 5 वर्ष का अनुभव	1. प्रोन्नति द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति लाइ नहीं होता।										

2. 2* (2009) लागू नहीं 37400- वयन लागू नहीं होता। 45 और वापिल्य या लागू नहीं एक वर्ष प्रोन्नति द्वारा 50 वर्ष जिसके न हो सकने आयोग में नियमित समिति लाइ नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(वित्तीय विषेषण)	* कार्यमार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	कार्यमार होता रु 100 + ग्रेड वेतन 10000 रु	के बीच	या चार्ट्स अकाउंट या कंपनी सदिव या लगत और संकर्म लेखा पात पीएचडी या सम्पत्त्य और सुसंगत क्षेत्र में 13 वर्ष का अनुभव या वाणिज्य में मास्टर कारखार प्रशासन (वित्त या लेखा) में मास्टर हिंदी या यूसंगत क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।	होता	पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	(वित्तीय विषेषण) के रूप में कम से कम चार वर्ष की सेवा।	(प्रोत्तति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	(प्रोत्तति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :	1. अध्यक्ष भारत का प्रतिस्थान आयोग-अध्यक्ष 2. प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण या अत्यकालिक सेविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	1. अध्यक्ष भारत का प्रतिस्थान आयोग-अध्यक्ष 2. प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	1. अध्यक्ष भारत के लिए सेवा या केंद्रीय सिविल सेवा ।	2. भारत के प्रतिस्थान आयोग के लोगों से सदस्य- सदस्य शासी संगठनों या विशेषज्ञ यदि विनियमक आवश्यक प्राधिकरणों या समझा जाए तो विश्वविद्यालय या समिति द्वारा अकादमिक या विकल्प दिया जा सकेगा- सदस्य अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में मास्टर हिंदी या कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर हिंदी या चार्ट्स अकाउंटेंट या कंपनी सचिव या लागत संकर्म लेखा पात नियमित आधार पर साइट्स में काम कर रहे हैं या 8900 रु के गेड देतन में

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3 सलाहका र (अर्थशास्त्र) २ १)	3* (2009)	लाभू नहीं होता।	चापत	लाभू नहीं होता।	45	और	अर्थशास्त्र के बीच।	50	वर्ष	एक वर्ष	प्रोन्ति द्वारा पश्चास प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	चार वर्ष का या 8700 रु ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का अनुभव है और युसंगत क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव है।	लाभू नहीं होता।
											वार्षिकीय प्रतिशत सेवे के अनुभव में अनुभव विश्लेषण में अनुभव	विभागीय प्रोन्ति समिति (पोन्ति प्र विचार करने के लिए) जिसमें सेवा अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर होगे।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
निवेशक (वित्तीय प्रियदर्शक)	2*	लाख ३७४००-	लग्न नहीं चोरां ।	४० और ४५ वर्ष के बीच ।	आवश्यकत की वाचता प्राप्त विद्युतिकार्य से लागियज्ञ या	लागू नहीं होता ।	१ वर्ष	१. प्राचास प्रतिशत प्रेस-टि लागा जिराके य हो सकते पर प्रतिविद्युतिकार्य ।	1. प्राचास प्रतिशत आपोः मे वंयुक्त निवेशक विद्युतिकार्य द्वारा से कम चार वर्ष की सेवा ।	(i) आधास द्वारा नामांकित एवं रात्रिम- नामांक द्वारा नामांकित	लागू नहीं होता		
निवेशक (वित्तीय प्रियदर्शक)	* काहीमात्र की	लाख ६७००० सहित ।	लाख ४० सहित ।	४५ वर्ष के बीच ।	किसी माचता प्राप्त विद्युतिकार्य से लागियज्ञ या	लागू नहीं होता ।	१ वर्ष	१. प्राचास प्रतिशत प्रेस-टि लागा जिराके य हो सकते पर प्रतिविद्युतिकार्य ।	१. प्राचास प्रतिशत आपोः मे वंयुक्त निवेशक विद्युतिकार्य द्वारा से कम चार वर्ष की सेवा ।	(i) आधास द्वारा नामांकित एवं रात्रिम- नामांक द्वारा नामांकित	लागू नहीं होता		
निवेशक (वित्तीय प्रियदर्शक)	20109	लाख ३७४००-	लग्न नहीं चोरां ।	४० और ४५ वर्ष के बीच ।	आवश्यकत की वाचता प्राप्त विद्युतिकार्य से लागियज्ञ या	लागू नहीं होता ।	१ वर्ष	१. प्राचास प्रतिशत प्रेस-टि लागा जिराके य हो सकते पर प्रतिविद्युतिकार्य ।	१. प्राचास प्रतिशत आपोः मे वंयुक्त निवेशक विद्युतिकार्य द्वारा से कम चार वर्ष की सेवा ।	(i) आधास द्वारा नामांकित एवं रात्रिम- नामांक द्वारा नामांकित	लागू नहीं होता		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6. निवेशक (अथशास्त्र ि) * 5 (2009)	लागू नहीं होता।	37400- 67000 रु + ग्रेड वेटन 8900 रु	चयन लागू नहीं होता।	40 वर्ष के बीच।	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विविधाताय सुधार अथशास्त्र या ओद्योगिक संगठन सिद्धात या इकोनोमेट्रिक्स अथशास्त्र में पीएचडी या सरकारी है।	1 वर्ष नहीं होता।	1. प्राप्ति द्वारा : प्रो-न्यूनति द्वारा न आयोग में संबुद्धि से विशेषण में अनुभव ।	1. प्राप्ति द्वारा : प्रो-न्यूनति द्वारा न आयोग में संबुद्धि से विशेषण में अनुभव ।	(i) अद्यक्ष द्वारा नामनिहित एक सदस्य— अद्यक्ष। (ii) गहरनिवेशक, भारत का प्रतिष्ठान ।	(i) अद्यक्ष द्वारा नामनिहित एक सदस्य— अद्यक्ष। (ii) गहरनिवेशक, भारत का प्रतिष्ठान ।	(iii) भारत का प्रतिष्ठान आयोग— सिविल सेवा समूह का भारतीय आर्थिक सेवा या स्वायत्त शासी संगठनों या विनियोगमक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालय— अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर हिंगा या साइट्य पद या कोई में काम कर	लागू नहीं होता।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
7.	*5 (पांच) निवेशक (विधि) * कार्यभार के परिवर्तन किया जा सकता है।	37400- 67000 होता।	चयन	लागू नहीं होता।	40 वर्ष के मध्य।	आवश्यक प्रतिशब्द विधि में पीएचडी होता।	1 वर्ष द्वारा	प्रोन्टिके प्रतिशब्द विधि में पीएचडी होता।	(1) ग्रोन्टिके प्रतिशब्द विधि में संयुक्त निवेशक (विधि) के रूप में कम से कम चार वर्ष सेवा।	(i) अवधार आयगा में संयुक्त निवेशक (विधि) के एक अध्यक्ष चार वर्ष सेवा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
									2. प्रतिनियुक्त या स्थानांतरण या अत्यकालिक समिदा द्वारा पच्चीस प्रतिशब्द।	(2) प्रतिनियुक्त द्वारा	भारत निवेशक भारत प्रतिशब्द का आयोग-सदस्य	(ii) महा निवेशक भारत प्रतिशब्द आयोग-सदस्य		
								3. सीधी गति द्वारा पच्चीस प्रतिशब्द।	(iii) भारत सेवा या केंद्रीय सिविल सेवा	भारत प्रतिशब्द आयोग- सदस्य				
									'समृह क' या भारतीय कंपनी विधि सेवा या स्वयंसेवा या संगठनों या	(iv) बहु दिशायक आवश्यक	समझा जाए तो समिति द्वारा विकल्प जा सह दिया सकेगा-सदस्य संस्थानों चालिक आदि से			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8.	4* (2009)	लापू नहीं होता।	37400- 67000 + ग्रेड वेतन 8700 रु	चयन होता।	लापू नहीं होता।	35 और के बीच।	आवश्यक किसी मार्चता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य या वित्त या लेखा में पीएचडी या समतुल्य, चार्टर्ड	लापू नहीं होता।	1 वर्ष	1. प्रयोगस प्रतिशत जिसके न हो प्रतिनियुक्ति होता।	1. प्रो-न्यूनति द्वारा उपनिदेशक (वित्तीय विश्वविद्यालय) के रूप में कम से कम छह वर्ष की रोता।	(i) अध्याक्ष द्वारा निहिट एक सदस्य- अध्यक्ष	लापू नहीं होता।
संयुक्त निदेशक (वित्तीय विश्वविद्यालय)		* कार्यभार के पर किया जा सकता है।	* आधार परियोग के प्रतिवेदन किया जा सकता है।	आवश्यक किसी मार्चता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंपनी या संकर्म पाल वित्तीय विश्वविद्यालय	35 और के बीच।	2. प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण या अल्टकानिक द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	2. प्रतिनियुक्ति द्वारा संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	2. प्रतिनियुक्ति द्वारा संविदा द्वारा पच्चीस प्रतिशत।	(ii) महा नियेशक भारत का प्रतिस्पद्य आयोग-सदस्य	(i) अध्याक्ष द्वारा निहिट एक सदस्य- अध्यक्ष	लापू नहीं होता।		
अकाउंटेंट या कंपनी या संकर्म पाल वित्तीय विश्वविद्यालय		आवश्यक अखिल सेवा या सिविल 'समूह क' शासी संगठनों या विनियमक	आवश्यक अखिल सेवा या कंपनी सेवा आयोग - सदस्य विशेषज्ञ	3. रोधी भर्ती पच्चीस प्रतिशत।	3. रोधी भर्ती पच्चीस प्रतिशत।	3. रोधी भर्ती पच्चीस प्रतिशत।	(iii) सचिव भारत के प्रतिस्पद्य आयोग - सदस्य विशेषज्ञ	(iv) बाट्य यदि	(iv) बाट्य यदि				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							हीन वर्ष या			प्राप्तिकरणों	या	आवश्यक	
							अनुभव या वाणिज्य में मार्ट नामक प्रशासन	सर्वथानों सहित इसे जिनके पास वाणिज्य में मार्ट द्वारा प्रशासन	विश्वविद्यालय अकादमिक अनुसंधान प्रशासन कारबाह और छह वर्ष का अनुभव जिसमें कारपोरेट सेक्टर अनुभव भी है	विश्वविद्यालय अकादमिक अनुसंधान प्रशासन (वित्त) में द्वारा लागत कंपनी संकर्म ¹ पाल है तथा नियमित आधार पर साइट्स पद या क्रेणी में काम कर रहे हैं या 7600 ल0 के गेड वेतन में छह वर्ष का या 6600 रुपौं वेतन में दस वर्ष या समतुल्य ।	समझा जाए तो शामि सहित सहित करना दिया जाए।	आवश्यक द्वारा प्राप्ति वित्तीय विशेषण में अनुभव ।	
9.	* 10 संयुक्त निदेशक (अधिकारी) (2009)	लागू नहीं होता । * कार्यगार 1)	37400- 67000	चयन	लागू नहीं होता ।	35 और 40 वर्ष के मध्य ।	आवश्यक अधिकारी या सांख्यिकी में पीएचडी या समतुल्य अंतर	एक वर्ष तापू तरह होता ।	प्रान्ति प्रतिशत जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	(1) प्रान्ति आयोग नियुक्ति के एक सम- अधिकारी होता ।	(1) अध्यक्ष द्वारा नाम नहीं होता लागू नहीं		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)*	(11)	(12)	(13)	(14)
12. उप निदेशक (अर्थशास्त्र के अधिकारी को प्रतिवर्ती किया जा सकता है।)	*18 (2009)	लागू नहीं होता।	15600- 39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0	चयन	लैंडीस वर्षे लागू नहीं होता।	आवश्यक : अर्थशास्त्र या सांखिकी में मास्टर या समतुल्य और सुसगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें कारपोरेट सेक्टर में अनुभव भी हो	लागू नहीं होता।	सीधी प्रचलित जिसके न हो पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण /। अत्यक्लिक सेवा।	1 वर्ष प्रतिशत सकने	1 वर्ष प्रतिशत द्वारा।	(i) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग अध्यक्ष निर्दिष्ट एक सदस्य- अध्यक्ष सेवा।	लागू नहीं होता ।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13. उप निदेशक (विधि)	* 18 (2009)	लागू नहीं होता।	चयन	लागू नहीं होता।	तैतीस वर्षे	आवश्यक विधि बैचलर विश्विका या सम्पुल्य और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें सेक्टर में अनुभव भी है।	सीधी भर्ती द्वारा प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती सेक्टर में अनुभव भी है।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती द्वारा प्रतिशत जिसके न हो सकने पर प्रतिशुद्धि/स्थानांतरण/अल्टकालिक संविदा द्वारा।	1. प्रतिशुद्धि द्वारा लागू नहीं होता।	(i) अध्यक्ष द्वारा नाम निहेस्ट एक सदरया अध्ययः		

वांछनीय :

प्रतिशुद्धि विधि में अनुच्छेद ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
14.	संयुक्त निदेशक (वित्त और तेखा)	तार्गु नहीं होता।	दोसालौप नहीं होता।	तार्गु नहीं होता।	एक वर्ष	प्रो-न्यूनति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति लम्हानातरण/अन्यकालिक सविद्या सीधी भर्ती द्वारा।	(i) भारत का प्रतिपाद्धति द्वारा: (1) उपनिदेशक (वित्त और लेखा) नियन्ते आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की है। (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा:	भारतीय सेवा समूह महिला निदेशक का अधिकार सेवा/केंद्रीय सिविल सेवा समूह का कँ। /भारतीय आयोग सेवा/शारीरिक सेवा लेखा/परिषाक्त आयोग सेवा/भारतीय सिविल सेवा लेखा/परिषाक्त आयोग सेवा/शारीरिक द्वाका	संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)				
14.	संयुक्त निदेशक (वित्त और तेखा)	तार्गु नहीं होता।	दोसालौप नहीं होता।	तार्गु नहीं होता।	एक वर्ष	प्रो-न्यूनति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति लम्हानातरण/अन्यकालिक सविद्या सीधी भर्ती द्वारा।	(i) भारत का प्रतिपाद्धति द्वारा: (1) उपनिदेशक (वित्त और लेखा) नियन्ते आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की है। (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा:	भारतीय सेवा समूह महिला निदेशक का अधिकार सेवा/केंद्रीय सिविल सेवा समूह का कँ। /भारतीय आयोग सेवा/शारीरिक सेवा लेखा/परिषाक्त आयोग सेवा/भारतीय सिविल सेवा लेखा/परिषाक्त आयोग सेवा/शारीरिक द्वाका	संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)				
14.	संयुक्त निदेशक (वित्त और तेखा)	तार्गु नहीं होता।	दोसालौप नहीं होता।	तार्गु नहीं होता।	एक वर्ष	प्रो-न्यूनति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति लम्हानातरण/अन्यकालिक सविद्या सीधी भर्ती द्वारा।	(i) भारत का प्रतिपाद्धति द्वारा: (1) उपनिदेशक (वित्त और लेखा) नियन्ते आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की है। (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा:	भारतीय सेवा समूह महिला निदेशक का अधिकार सेवा/केंद्रीय सिविल सेवा समूह का कँ। /भारतीय आयोग सेवा/शारीरिक सेवा लेखा/परिषाक्त आयोग सेवा/भारतीय सिविल सेवा लेखा/परिषाक्त आयोग सेवा/शारीरिक द्वाका	संयुक्त निदेशक (वित्त और लेखा)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
राजस्थान ।							नी में बैचतर डिग्री या इंजीनियरी में बैचलर डिग्री या समतुल्य या							
							विज्ञान/इंजीनियरी/ कंप्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री और साथ ही युसंगत शेक्र में छह वर्ष का अनुभव हो ।							
16. नमूने निदेशक (कर्मणोरं सेवा)	05/2009)*	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य ; और	लागू नहीं होता ।	एक वर्ष प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक सर्विद्या/ शीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक सर्विद्या/ शीधी भर्ती द्वारा ।	(i) भारत का प्रतिनियुक्त आवाग के अवश्यकता नामांतरण/अल्पकालिक वित्त तथा लेखा जिसने आवाग में काम से कम पांच वर्ष सेवा की हो	लागू नहीं होता ।			
15. नमूने निदेशक (कर्मणोरं सेवा)	15/2009)*	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	आवश्यक किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य ; और	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/अल्पकालिक सर्विद्या/ शीधी भर्ती द्वारा ।	(i) भारत का प्रतिनियुक्त आवाग के अवश्यकता नामांतरण/अल्पकालिक वित्त तथा लेखा जिसने आवाग में काम से कम पांच वर्ष सेवा की हो	लागू नहीं होता ।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							(ii) कार्मिक प्रवृद्धन/सचिवी या व्यवसाय में हिलोमा या प्रमाण पत्र पात्रकम् या समतुल्य ; और अन्यथा सहायक निदेशक इतर पर पाच वर्ष का अनुभव वाल्हनिया: मानव संसाधन, प्रवृद्धन/सचिवी या व्यवसाय में, दूसरे वर्षोमा या समतुल्य सहित मास्टर हिलोमा या समतुल्य ।	(III) प्रतिनियुक्ति क्षेत्र: किसी मान्यताप्राप्त विचानिवातय से बाहर की किसी भी विद्या में प्रतिस्पर्धा वैदलर हिली या आयोग समतुल्य पत्रता: सदृश पट पट/प्रैड ने कार्यरत अधिकारी या सुसंयत क्षेत्र (ज्ञापन/कार्मिक प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन) में 6600 रुपैये वेतन या समतुल्य में 5 वर्ष का अनुभव ।	महानिदेशक - सदृश किसी मान्यताप्राप्त विचानिवातय से बाहर की किसी भी विद्या में प्रतिस्पर्धा वैदलर हिली या आयोग समतुल्य पत्रता: सदृश पट पट/प्रैड ने कार्यरत अधिकारी या सुसंयत क्षेत्र (ज्ञापन/कार्मिक प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन) में 6600 रुपैये वेतन या समतुल्य में 5 वर्ष का अनुभव ।	(iii) उचित, (iv) बाह्य, जो समिति द्वारा सहनिवाल दिया जा सकेगा – सदृश	(i) भारत का लगभग नहीं होता ।		
17. रा. 01/2019)*	नव्हीकरण	प्रान्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/व्यापारात्मक सचिवी/सदृशी अस्ति होता ।	एक वर्ष	तारूः तारूः यही होता ।	(i) गोन्हति द्वारा: एसा निदेशक (विच और अद्यक्ष द्वारा जिसने एक वर्ष से एक वर्ष की हो) सकता होता ।	(i) भारत का लगभग नहीं होता ।							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
18.	उप निवेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	01(2009)*	लागू नहीं होता।	1560-	चयन	लागू नहीं होता।	तैतीस वर्ष	आवश्यक :	लागू नहीं होता।	एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिपुक्ति/रथनातरण/अल्पकालिक सिविदा/सीधी भर्ती द्वारा।	(i) भारत का प्रतिपूर्ण अध्यक्ष द्वारा निवेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) जिसने आयोग में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो।	लागू नहीं होता।
				39100	+ रुपये रेतन:	+ रुपये रेतन:		किसी पाचताप्राप्त विषविदालय से बींटेक या इंजीनियरी में बैचलर हिंगी या समर्थन या कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान (इंजीनियरी) कंप्यूटर विज्ञान/सूचना		(ii) प्रतिनियुक्ति का द्वारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र किसी अन्य सरकारी संगठन में भारत का	(iii) सचिव, महानिदेशक सदस्य भारत का	(iv) वाहर से ऐसा निश्चिन्ता यदि आवश्यक सदस्य जो द्वारा सहयोगित किया जा समिति द्वारा पर्याप्त संरक्षण कर रहे हैं या जिनके पास 6600 रुपये समतुल्य के वेतन में पांच वर्ष का अनुभव है। उच्च अहता और अनुभव को वर्णियता दी जाएगी।	(iii) सचिव, 'क' /भारतीय और लेखापरीक्षा और लेखा सेवा/भारतीय सदस्य समिति द्वारा सहयोगित किया जा समिति द्वारा पर्याप्त संरक्षण कर रहे हैं या जिनके पास 6600 रुपये समतुल्य के वेतन में पांच वर्ष का अनुभव है। उच्च अहता और अनुभव को वर्णियता दी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
19.	02(2009)*	लागू नहीं होता।	15600- 30100 + सदस्यक निदेशक (वित्त लेखा)	चयन	लागू नहीं होता।	आवश्यक :	एक वर्ष	प्रेन्नाति द्वारा, जिसके न हो सकने पर	(I) प्रो-न्नाति द्वारा: ऐसा कार्यालय प्रबंधक (वित्त और लेखा) जिसने कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो।	(i) भारत का प्रतिस्पर्धी - अयोग के अव्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य - अव्यक्ष द्वारा:	लागू नहीं होता।		
			* कार्यमार के आधार परिवर्तन किया जा सकता है।			(i) वाणिज्य में बैचलर डिप्लोमा समाप्त होता।	लागू नहीं होता।	प्रेन्नाति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अत्यकालिक सेवा।	(II) प्रतिनियुक्ति द्वारा: किसी भी विद्या में बैचलर डिप्लोमा वाले ऐसे अव्यक्ष जो सदस्य पद हैं या जिनके पास सुसंगत क्षेत्र (बिजट वित्त और लेखा) में 5400 रु के लिए	(ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य (iv) बाह्य			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
20.	एवं यांक निर्देशक (सूचना प्रोद्योगिकी)	03/2009*	लागू नहीं होता।	45580- 39100 रु०	लागू नहीं होता।	तैसीस वर्ष नहीं होता।	आवश्यक :	एम् नहीं होता।	एक वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, <td>प्रतिनिधित्व करने के लिए वेतन में छह वर्ष या 4800 रु० के गेरु वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० या समतुल्य के गेरु वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो ।</td> <td>वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रु० के गेरु वेतन में छह वर्ष या 4600 रु० के गेरु वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० या समतुल्य के गेरु वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो ।</td> <td>(i) भारत का प्रतिशत पद पृष्ठग्रेड में कार्यक्रम सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी वा उत्तराधीय कार्यक्रम विद्युके पास 5400 रु० के गेरु देतन में पांच वर्ष का या 4800 रु० के गेरु वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० के गेरु वेतन या समतुल्य में दस वर्ष का अनुभव और जिसके कामयूर अनुप्रयोग में मार्टर द्वारा विज्ञान(सूचना प्रोद्योगिकी)/कं प्यटर विज्ञानइंजीन यरी में मार्टर द्वारा । अनुभव: सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव</td> <td>एमा विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहोचित वैचालर द्विग्याविज्ञान (सूचना प्रोद्योगिकी/ कंपनी सचिव) में सदस्य</td>	प्रतिनिधित्व करने के लिए वेतन में छह वर्ष या 4800 रु० के गेरु वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० या समतुल्य के गेरु वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो ।	वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रु० के गेरु वेतन में छह वर्ष या 4600 रु० के गेरु वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० या समतुल्य के गेरु वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो ।	(i) भारत का प्रतिशत पद पृष्ठग्रेड में कार्यक्रम सूचना प्रोद्योगिकी अधिकारी वा उत्तराधीय कार्यक्रम विद्युके पास 5400 रु० के गेरु देतन में पांच वर्ष का या 4800 रु० के गेरु वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० के गेरु वेतन या समतुल्य में दस वर्ष का अनुभव और जिसके कामयूर अनुप्रयोग में मार्टर द्वारा विज्ञान(सूचना प्रोद्योगिकी)/कं प्यटर विज्ञानइंजीन यरी में मार्टर द्वारा । अनुभव: सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव	एमा विशेषज्ञ यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहोचित वैचालर द्विग्याविज्ञान (सूचना प्रोद्योगिकी/ कंपनी सचिव) में सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21.	02*	लगू नहीं होता।	15600- 39100 रु० + ग्रेड वेतन: 6600 रु०	चयन	लगू नहीं होता।	आवश्यक :	लगू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अत्यकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा।	(I) प्रोन्नति द्वारा: एसा कार्यालय प्रबंधक (प्रस्तकात आगाम के सेवा) जिसने काम अद्यक्ष होना नामनिवृद्धि से कम पांच वर्ष सेवा की हो - (II) प्रस्तकालय विज्ञान में बैचलर हिंगी रखने वाले एसे अध्यक्ष जो सदृश पद पर/ग्रेड में कार्यरत हैं या जिनके पास 5400 रु० के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रु० के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रु० के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो।	(I) प्रोन्नति द्वारा: एसा कार्यालय प्रबंधक (कारपोरेट सेवा) जिसने आयोग में कम से	(I) प्रोन्नति द्वारा: एसा कार्यालय प्रबंधक (प्रस्तकात आगाम के सेवा) जिसने काम अद्यक्ष होना नामनिवृद्धि एक सदृश अध्यक्ष (ii) आयोग हिंगी रखने वाले एसे अध्यक्ष जो महानिवेशक - सदृश पद पर/ग्रेड (iii) सचिव, जिनके पास 5400 रु० के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रु० के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रु० के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रु० या समतुल्य के ग्रेड वेतन में दस वर्ष का अनुभव हो।	(I) प्रोन्नति द्वारा: एसा कार्यालय प्रबंधक (कारपोरेट सेवा) जिसने आयोग में कम से	लगू नहीं होता।
22.	14*	लगू नहीं होता।	15600- 39100 रु० + ग्रेड वेतन: 6600 रु०	चयन	लगू नहीं होता।	आवश्यक :	लगू नहीं होता।	एक वर्ष (i) सी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकते पर प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अत्यकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा।	(I) प्रोन्नति द्वारा: एसा कार्यालय प्रबंधक (कारपोरेट सेवा) जिसने आयोग में कम से	(I) प्रोन्नति द्वारा: एसा कार्यालय प्रबंधक (प्रस्तकात आगाम के सेवा) जिसने काम अद्यक्ष होना नामनिवृद्धि एक सदृश -	लगू नहीं होता।	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		से किसी भी विद्या में बैचलर हिंगे या समतुल्य ; और (ii) मानव संसाधन प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में डिलोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का रोकड़ तथा लेखा पाठ्यक्रम या समतुल्य अनुभव:	से किसी भी विद्या में बैचलर हिंगे या समतुल्य ; और (ii) मानव संसाधन प्रबंधन/सचिवी य व्यवसाय में डिलोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का रोकड़ तथा लेखा पाठ्यक्रम या समतुल्य अनुभव:	कम पांच वर्ष सेवा की हो (II) प्रतिनियुक्ति का द्वारा:	कम पांच वर्ष सेवा की हो (II) प्रतिनियुक्ति का महानिदेशक - मान्यताप्राप्त् विश्विद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर हिंगे या समतुल्य	अध्यक्ष (ii) आयोग का सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिपक्ष वैचलर हिंगे या सदस्य	अध्यक्ष (ii) आयोग का सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिपक्ष वैचलर हिंगे या सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23. कार्यालय प्रबंधक (वित्त और लेखा)	04* (2009)	तागू नहीं होता।	9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन: 5400 रु.	तागू नहीं होता।	एटीईस वर्ष।	आवश्यक : (i) वाणिज्य में डिग्री सम्पत्ति और साथ में वर्ष का अनुभव या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में वेचतार डिग्री या सम्पत्ति और साथ में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का लेखा/वित्त/ रोकड़ तथा लेखा पाठ्यक्रम या एक वर्षीय डिलोमा और सुसंगत क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।	तागू नहीं होता।	एक वर्ष भी वेचतार सम्पत्ति द्वारा प्रतिनियुक्त होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा: न प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अत्यवाकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा।	(i) भारत का प्रतिपर्वक आयोग के अध्यक्ष द्वारा किसी नामांतिहृष्ट विश्वविद्यालय से सम्पत्ति है और जो सदृश पद प्रदेश में कार्यरत है या जिनके पास भारत का युसंगत क्षेत्र (बजट/वित्त और लेखा)में 5400 रु के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष का या 4800 रु के ग्रेड वेतन में छह वर्ष या 4600 रु के ग्रेड वेतन में सात वर्ष या 4200 रु के ग्रेड वेतन या सम्पत्ति द्वारा का अनुभव हो। वार्षिक उच्च अर्हता और अनुभव को वर्णियता दी जाएगी।	प्रतिपर्वक द्वारा: न प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण/ अत्यवाकालिक संविदा/ सीधी भर्ती द्वारा।	(i) भारत का प्रतिपर्वक आयोग के अध्यक्ष द्वारा।	
24. कार्यालय प्रबंधक (कोरप्सों) * कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	20* (2009)	तागू नहीं होता।	9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन:	तागू नहीं होता।	एटीईस वर्ष।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	तागू नहीं होता।	एक वर्ष भर्ती द्वारा प्रतिनियुक्त होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा: न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	(i) भारत का प्रतिपर्वक आयोग के अध्यक्ष द्वारा।			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ट संख्या)	के अधार पर प्रिवेट किंवा जा सकता है।	अधार	5400	लौ	ऐसी भी विद्या में बैचलर डिग्री या समतुल्य है और (ii) मानव संसाधन प्रबंधन/अधिकारी या व्यवसाय में हिक्सोमा/प्रमाण पत्र पाउचक्रम या समतुल्य और युवराज को बैचलर में तीन वर्ष का अनुभव वांछीय। मानव बैचलर डिग्री या समतुल्य और साथ में मानव संसाधन प्रबंधन/संचिकीय व्यवसाय में एक वर्षीय हिक्सोमा या समतुल्य।	पच्चीस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/थानातरण !/ संविदा/ संविदा/ द्वारा ।	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या में बैचलर डिग्री (ii) आयोग द्वारा दिए गए सदस्य अधिकारी जो सदस्य पद पर/ग्रेड में काम करते हैं या (iii) सचिव, सुसंगत (स्थापन/नियंत्री प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन) में 4600 रुपये के ग्रेड वेतन में तीन वर्ष का या 4200 रुपये समतुल्य के ग्रेड वेतन में आठ वर्ष का अनुभव है। वांछीय अहता और अनुभव को वर्षीयता की जाएगी।	नामनिर्दिष्ट एक सदस्य अध्यक्ष (ii) आयोग का महानिदेशक - सदस्य भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग - सदस्य	लागू नहीं होता ।				
25.	61(2009)*	लागू नहीं होता ।	9300-	संघन ।	आठद्वय अट्टद्वय :	एक वर्ष द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/थानातरण/ अधिकारिक संविदा/ संविदा/ द्वारा ।	प्रान्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/थानातरण/ अधिकारिक संविदा/ संविदा/ द्वारा ।	(i) भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य अध्यक्ष (ii) आयोग					
	* कार्यालय प्रबंधक (पुस्तकालय संस्कार)	* कार्यालय के अधार पर लिया जा	34800	लागू होता ।	(i) पुस्तकालय विज्ञान में बैचलर डिग्री या समतुल्य अनुभवः पुस्तकालय								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	सकता है।						तथा सूचना सेवा के क्षेत्र में तीन वर्ष का पश्च अहंता अनुभव						का महानिदेशक - सदस्य (iii) सचिव, भारत का प्रतिपक्षी आयोग - सदस्य (iv) बाह्य ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए, जो समिति द्वारा सहाविकल्प दिया जा सकेगा - सदस्य

[फा. सं. 5/27/2007-आईजीसी/सीएस]
रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2009

G.S.R. 670(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Competition Commission of India (salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Competition Act, 2002;
(b) "Secretary" means a person appointed as Secretary under sub-section (1) of section 17 of the Act;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings as assigned to them in the Act.

3. Salary and allowances of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees. — The salary and allowances of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees and their method of recruitment shall be as specified in Schedule – I.

- 4. Conditions of service.**— (1) The conditions of service of the Secretary, officers and other employees of the Commission in the matter of leave, joining time, joining time pay, age of superannuation, traveling allowance and leave travel concession shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are applicable to officers and employees of the Central Government belonging to corresponding category and scale of pay.
- (2) The Secretary, officers and employees of the Commission shall be eligible for general pool accommodation till a separate office and residential complex for the Commission is constructed.
- (3) The Secretary, officers and employees of the Commission including those on deputation, who are Government employees and have been allotted residential accommodation under General Pool shall be eligible to retain the facility of Government residential accommodation.
- (4) The Secretary, officers and employees of the Commission not allotted accommodation shall be eligible for House Rent Allowance as admissible to officers and employees of the Central Government drawing similar pay scales.
- (5) The Secretary, officers and employees of the Commission including those on deputation while in service with the Commission shall be entitled to medical facilities as specified in Schedule-II.
- (6) (i) The Secretary, officers and employees of the Commission appointed on deputation, shall continue to be governed by Provident Fund Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.
- (ii) The Commission shall recover contribution towards provident fund from such Secretary, officers and employees and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.

(iii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(7) The Secretary, officers and employees of the Commission other than those on deputation shall be entitled Group Insurance as per the scheme to be formulated by the Commission in consultation with the Central Government:

Provided that in the case of the Secretary, officers and employees of the Commission appointed on deputation shall continue to be governed by the Group Insurance Schemes as are applicable to them in their parent Ministry or Department or organisation.

(8) (i) The Commission shall recover contribution towards the insurance schemes from such Secretary, officers and employees and remit the amount immediately to the lending Ministry or Department or organisation.

(ii) Any loss of interest on account of late remittance shall be borne by the Commission.

(9) The Secretary, officers and employees of the Commission who are not on deputation shall be governed by the new pension scheme.

(10) The Secretary, officers and employees of the Commission who are on deputation shall be eligible for pension and retirement benefits, if any, as are available to them in their parent Ministry or Department or organisation.

5. Official visits abroad.— Official visits abroad by Secretary, officers and other employees of the Commission shall be undertaken with the prior approval of the Chairperson of the Commission or any other Member or officer of the Commission authorised by the Chairperson.

(2) Instructions issued by Ministry of External Affairs and Ministry of Finance as amended from time to time shall be applicable.

6. Deputation allowance.- The persons selected on deputation basis shall be given an option to either opt for the pay scale and other service benefits of the borrowing organization or to retain their own pay scales and get deputation allowance, as per the existing instructions of the Government of India on the subject.

7. Residuary provision. – Matters relating to the terms and conditions of service of the Secretary, officers and employees of the Commission with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision.

8. Powers to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, release any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Schedule- II

[See rule 4(5)]

MEDICAL FACILITIES

1 Outdoor Medical expenses- (i) Secretary, officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family.

Explanation - For the purpose of this clause, the expression "family" has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(ii) The reimbursement of outdoor medical expenses during the year shall be limited to the actual expenses or one month's pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less.

(iii) The claim should be supported by Doctor's prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines and the release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January.

(iv) For Secretary, officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis.

(v) The outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Commission.

2 Indoor treatment-

(i) For the purpose of indoor treatment the Secretary, officers and employees of the Commission shall be entitled for medical treatment at hospitals authorised by the Commission in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendants) Rules, 1944 as applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay.

(ii) The authorised hospitals for the purpose of clause (i) above shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rule 1944.

(iii) Treatment at authorised hospitals may be taken on the advice of the Authorised Medical Attendants except in emergency.

Schedule I
(see rule 3)

Name of Post	Number of Post	Classification on	Pay band with Grade pay or pay scale	Whether selection Post or non-selection Post	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether benefit of added years of services admissible under the rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer to be made.	In case of recruitment by promotion or deputation or grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12).	(13)	(14)
1. Secretary *Subject to variation dependent on work load	1*(2009)	Not applicable	Pay Band Rs 37400-67000 + Grade pay Rs.10000 or pay scale Rs.67000- (annual increment @ 3%) - Rs.79000 depending on the availability of candidates as indicated in Column 12.	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation or Promotion	1. Deputation: (a) For pay scale Rs.67000/- annual increment @ three per cent) - 79000 (i) From amongst officers of the Central Government or State Government – holding a post in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000, with ten years experience in Administration or Finance or Industrial Management in the same grade. Desirable: Master's Degree in Economics or Business Administration or Bachelor's Degree in Law. OR (ii) From amongst officers of the Central Government or State Government	Departmental promotion Committee (for consideration promotion) consisting of:	Not Applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Holding a post in the pay scale of Rs.67000 - Annual increment @ three per cent) – 79000.

(b) For pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000.

(i) From amongst officers of the Central Government or State Government holding a post in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.8900 with two years experience in administration or finance or industrial management in the same grade.

(ii) From amongst officers of the Central Government or State Government holding a post in the pay band Rs.37000-67000 + Grade Pay Rs.8700 with three years experience in administration or Finance or industrial management in the same grade.

2. Promotion:
(For pay scale 67000 - annual increment @ 3% – 79000)

Five years experience as Adviser in the pay band Rs.37400-67000 + Grade Pay Rs.10000/- in the Competition Commission of India on regular basis.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Adviser Financial Analysis)	2*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay Rs.10000	Selection Not Applicable	Between 45 and 50 years	Ph.D. Commerce Finance Accounting Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant or equivalent and thirteen years experience in the relevant field. Or Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance or Accounts) and seventeen years experience in the relevant field.	Not applicable	One year	1. Fifty per cent by promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent by deputation or transfer or short term contract 3. Twenty five per cent by direct recruitment.	(I) By Promotion: at least four years service as Director (Financial Analysis) with the Commission. (II) Deputation: Essential: Officers from the All India Services 'Group 'A' or Autonomous organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. with a Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost and Works Accountant and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8900 or eight years in the grade pay of Rs700 on regular basis and should have at least ten years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Financial Analysis related to competition issues.	Departmental promotion Committee (for consideration or promotion) consisting of: 1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson 2. Two Members of Competition Commission of India – Members	Not applicable	
3. Adviser Economics)	3*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400- 67000 + Grade Pay Rs.10000	Selection Not Applicable	Between 45 and 50 years	Ph.D. Economics Statistics or equivalent Thirteen years experience	Not applicable	One year	1. Fifty per cent by promotion, failing which by deputation. (II) By Deputation:	(I) By Promotion: at least four years service as Director (Economics) with the Commission.	1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Or Master's Degree in Economics or Statistics or equivalent; and seventeen years experience Desirable: Subject knowledge in microeconomics or industrial organization theory or econometrics or financial economics.													
4. Adviser (Law)	3* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.37400- + Grade Pay Rs.10000	Selection Not Applicable	Between 45 and 50 years	Essential: (i) Ph.D. Degree in Competition Law or equivalent and Thirteen years experience in the relevant field. or (ii) Master's Degree in Law or equivalent and	Not applicable	One year	1. Fifty per cent by Promotion, which by deputation. (II) By Deputation: Essential: Officers from the All India Services or Central Group 'A' or Indian Law Service or Indian Company Law Service or Autonomous	1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson (I) By Promotion: At least four years service as Director (Law) with the Commission.	1. Chairperson, Competition Commission of India – Chairperson 2. Two Members of Competition Commission of India – Members	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							fifteen years experience in the relevant field Or (i) Bachelor of Law or equivalent, and seventeen years experience in the relevant field. Desirable: Experience in Competition Law.		3. Twenty five per cent by direct recruitment.	Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. with LL.B from a recognised university and working in analogous post or grade or four years experience in the grade pay of Rs.8900 or eight years in the grade pay of Rs870 on regular basis and should have at least ten years experience in the relevant field	3. Outside if expert considered necessary, may be co-opted by the Committee Member		
5. Director (Financial Analysis)	2*(2009)	Not applicable	*Subject to variation dependent on work load	Selection	Not Applicable	Between 40 and 45 years	Essential: Ph.D in Commerce or Finance or Accounting or equivalent from a recognised university, Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant or Financial Analyst and eight years experience. or Master's Degree in Commerce or Master's Degree	1. Fifty per cent by Promotion, failing which by deputation. 2. Twenty five per cent by Deputation or transfer or short term contract. 3. Twenty five per cent by direct recruitment	One year Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic etc. having a Master's Degree in Commerce or Masters Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company	(i) One Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside if expert considered necessary may be co-opted by the committee	(i) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Financial Analysis) in the Commission. (II) By Deputation: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic etc. having a Master's Degree in Commerce or Masters Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. Director (Law)	5* (Five) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8900	Selection Not Applicable	Between 40 and 45 years	Desirable: Experience in Competition Law	Not applicable	One year	Experience in Competition Law	(i) By Promotion: At least four years service as Joint Director (Law) with the Commission (II) By Deputation: Essential:	(i) one Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General Commission of India - Member Secretary, Commission of India - Member (iii) Secretary, Commission of India - Member Outside if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable	
8. Joint Director (Financial Analysis)	4*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs. 8700	Selection Not Applicable	Between 35 and 40 years	Desirable: Experience in Competition Law	Not applicable	One year	1. Fifty per cent. by failing which by deputation.	(I) By Promotion: At least six years service as Deputy Director (Financial Analysis) with the Commission. (II) By Deputation: Essential:	(i) one Member nominated by Chairperson - Chairman (ii) Director General	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. Deputy Director (Economics)	18* (209) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection Not Applicable	Master's Degree in Economics/ Statistics or equivalent and with three years experience in the relevant field, including in corporate sector.	Thirty three years	Not applicable	One year	Seventy five per cent by direct recruitment failing which by deputation / short term contract	By Deputation: <u>Essential:</u> Officers from the All India Services / Central Civil Services Group A/ Indian Services/ Indian Statistical Service/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Research Institutes etc. with a Master's Degree in Economics/Statistics and working in analogous post / grade of five years service in the grade pay of Rs.8600 or equivalent Desirable. Experience in Competition Law	(i) one Member nominated by Chairman, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co-opted by the committee - Member	Not Applicable	
13. Deputy Director (Law)	18* (209) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection Not Applicable	Bachelor of Law (Professional) or equivalent. And with three years experience in the relevant field, including in corporate sector.	Thirty three years	Not applicable	One year in case of direct recruitment	Seventy five per cent by Direct recruitment failing which by deputation / short term contract	By Deputation: <u>Essential:</u> Officers from the All India Services / Central Civil Services Group A/ Indian Services/ Indian Company Law Service / Autonomous Organisations / Regulatory Authorities/ Universities/ Research Institutes etc. having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post / grade of five years service in the	(i) one Member nominated by Chairman, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside	Not applicable	

33494509-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
14. Joint Director (Finance and Accounts)	Not applicable	Rs 37400 + Grade Pay Rs 8700	Selection	Not applicable	Fifty three years	Essential: Master's Degree or equivalent in Commerce / Master's Degree in Business Administration/ Chartered Accountant/ Company Secretary Cost Accountant or equivalent and Experience: Six years experience in the relevant field Desirable: Experience of working in Public Finance/ Expenditure Control / Audit	Not applicable	One Year	By Promotion failing which by deputation transfer / short term contract / direct recruitment	(i) By Promotion: Deputy Director (Finance and Accounts) with at least five years service in the Commission. (ii) By Deputation: Essential: Officers of All Services/ Central Services Group 'A' / Indian Audit and Accounts Service / Indian Civil Account Service / Indian Posts and Telegraphs Commission of Accounts Service/ Indian Defence Accounts Service / Indian Railway Accounts Service working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs 7600 or ten years in the grade pay of Rs 6600 or equivalent! With minimum total experience of seven years in Public Finance/ Public Budgeting / Expenditure Control.	Grade pay of Rs 6600 or equivalent. Desirable: Experience in Competition Law	If considered necessary, may be co- opted by the committee Member	(i) one Member nominated by Chairperson, Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Chairman (iii) Secretary, Audit and Accounts Service / Indian Civil Account Service / Indian Posts and Telegraphs Commission of Accounts Service/ Indian Defence Accounts Service / Indian Railway Accounts Service expert if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable	(i) one Member nominated by Chairperson, Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Chairman (iii) Secretary, Audit and Accounts Service / Indian Civil Account Service / Indian Posts and Telegraphs Commission of Accounts Service/ Indian Defence Accounts Service / Indian Railway Accounts Service expert if considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Master's Degree in Commerce / Master's Degree in Business Administration (Finance) /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 Joint Director (IT)	1* (2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 37400- 67000 + Grade Rs 8700	Selection	Not applicable	Forty three years	Not applicable	One year	By Promotion: Deputy Director (Information Technology) with at least five years service in the Commission.	(I) By Promotion: Deputy Director (Information Technology) with at least five years service in the Commission. (II) By deputation: Essential: An Technology professional working in National Informatics Centre or any other Government Organization with Bachelor's Degree in Computer Applications/ Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Engineering) / Computer Science / Information Technology with experience of six years in the relevant field.	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General of the Commission - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member Outside if expert considered necessary, may be co- opted by the committee Member	Not applicable	
16 Deputy Director (Corporate Services)	5*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Rs.7600	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	One year	By Promotion: Deputy deputation / transfer / short term contract	(I) By Promotion Assistant (Corporate Services) Information Technology and Finance and Accounts with at least five years service in the Commission. (II) By Deputation	(i) one Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17. Deputy Director (Finance and Accounts)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7800	Selection	Not applicable	Thirty three years	Essential: Master's Degree or equivalent in Commerce or Master's Degree in Business Administration or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant or equivalent and Experience: Three years experience in the field	Not applicable	One year	Promotion by failing which by deputation or transfer or short term contract	(I) By Promotion Assistant (Finance and Accounts) with at least five years service in the grade. (II) By Deputation Officers of All India Services / Central Civil Services Group 'A' / Indian Audit and Accounts Service / Indian Account Service / Indian Posts and Telegraphs Accounts Service / Indian Defence Service/ Indian Railway Accounts working in analogous post / grade or five years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent	(I) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary.	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
18. Deputy Director (Information Technology)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Thirty three years	Essential: B.Tech or Bachelor's Degree of Engineering or equivalent from a recognised university; or Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Engineering) / Computer Science / Information Technology with experience of Three years in the relevant field.	Not applicable	One year	By failing Deputation transfer / short term contract	(i) By Promotion Assistant (Information Technology) with at least five years service in the grade. (ii) By Deputation: Essential: An Information Technology professional working in National Informatics Centre or any other Government Organization with Bachelor's Degree of Computer Applications / Master's Degree in Computer Application / Master's Degree in Science (Company Secretary) / Bachelor's Degree in Technology or equivalent etc. with five years experience in the grade pay of Rs.6600 or equivalent	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co-opted by the committee - Member	Higher qualification and experience will be given preference.	may be co-opted by the committee – Member
19. Assistant Director (Finance /Accounts)	2*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600- 39100 + Grade Pay Rs.6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's Degree in Commerce or equivalent and Experience: (ii) Three years experience in the relevant field. Desirable: Higher qualification and	Not applicable	One year	By failing Deputation transfer / short term contract	(i) By Promotion Office Manager (Finance and Accounts) with at least five years service. (ii) By Deputation: Candidates having Bachelor's degree in any discipline, working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member	Not applicable	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20.	Assistant Director (Information Technology)	3*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 15600- 39100 + Grade pay Rs 6600	Not applicable	Thirty three years	Essential:	Not applicable	One year	By recruitment or deputation Or Transfer or short contract	By Deputation: Information Professional working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs 5400 or six years in the grade pay of Rs 4800 or seven years in the grade pay of Rs 4800 or 10 years in the grade pay of Rs 4200 or equivalent, possessing the qualification of Master's Degree in Computer Application / Bachelor's Degree in Computer Applications / Bachelor's Degree in Technology /Master's Degree in Science (Information Technology/ Computer Science Engineering) Experience: Three years experience in the relevant field.	direct or term	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co- opted by the committee - Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	Assistant Director (Library Services)	Not applicable *Subject to variation dependent on work load	Rs 15600- 39100 + Grade Pay Rs 6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science with five years experience	Not applicable	Not applicable	By failing which by deputation / short term contract or direct recruitment	(I) By Promotion Office Manager (Library Services) with at least five years service (II) By Deputation: Candidates having Bachelor's degree in Library Science with working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs 5400 or six years in the grade pay of Rs 4800 or seven years in the grade pay of Rs 4600 or ten years in the grade pay of Rs 4200 or equivalent.	(I) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member Secretary, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co-opted by the committee	Not applicable
22.	Assistant Director (Corporate Service)	Not applicable *Subject to variation dependent on work load	Rs 15600- 39100 + Grade Pay Rs 6600	Selection	Not applicable	Not applicable	Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university ; and (ii) Diploma/ Certificate course in Human Resource management / Secretarial Practices or Cash and Accounts Course of Institute	Not applicable	One year	By failing which by deputation / short term contract	(I) By Promotion Manager (Corporate Services) with at least five years service in the Commission. (II) By Deputation: Essential: Bachelor's Degree or equivalent discipline from a recognised university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs 5400 or six years in the grade	(I) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24. Office Manager (Corporate Service)	20*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 9300-34800 Grade pay Rs.5400	Selection	Not applicable	Twenty eight years	Essential: (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university; and (ii) Diploma/ Certificate course in Human Resource Management / Secretarial Practices, or equivalent; With three year's experience in the relevant field.	Not applicable	One year	Seventy five per cent. by direct recruitment failing which by deputation.	By Deputation, (i) Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. (ii) Officers working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent in the relevant field (Establishment/ Personal Management / Secretarial Practices / Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director General, Competition Commission of India - Member (iii) Secretary, Competition Commission of India - Member (iv) Outside expert if considered necessary, may be co-opted by the committee Member	Not applicable
25. Office Manager (Library Services)	1*(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs 9300-34800 Grade pay Rs.5400	Selection	Not applicable	Twenty eight years	Essential: (i) Bachelor's degree in Library Science or equivalent Experience: three years post qualification experience in	Not applicable	One year	By recruitment failing which by deputation / short term contract	By Deputation; Officers having Bachelor's degree in Library Science and working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in	(i) One Member nominated by Chairperson, Competition Commission of India - Chairman (ii) Director	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

the field of
library and
information
services

Desirable:
Higher qualification and
experience will be given
preference

the grade pay of Rs.4200
or equivalent in the
relevant field

[F. No. 5/27/2007-IGC/CS]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.